

राजस्थान विधान सभा
अष्टम सत्र
कार्य-सूची
सोमवार, दिनांक 16 अप्रैल, 2012
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री ओटाराम देवासी, सदस्य, विधान सभा, भू-प्रबन्ध विभाग, जोधपुर द्वारा कृषि भूमि के कथित गलत सैटलमेन्ट करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

ऑडिट रिपोर्ट एवं टिप्पणी

डॉ. जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-104(4) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2006-2007 के लेखों की ऑडिट रिपोर्ट एवं उस पर टिप्पणी सदन की मेज पर रखेंगे ।

4. विधायी कार्य

(अ) पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद विधेयक, 2012

राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद
विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-17)

(I) श्री ऐमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां), प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

"राज्य में आयुर्वेद नर्सिंग परिषद के गठन, आयुर्वेद नर्सिंग वृत्ति के विनियमन और आयुर्वेद नर्सिंग विषयों में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं की मान्यता के लिये और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(ब) विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2012

- राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर
(संशोधन) विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-8)
- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
"राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर, अधिनियम, 1999 को संशोधित करने के लिये विधेयक ।"
(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(II) राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012

- राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की
विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-10)
- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
"निजी विश्वविद्यालयों की विधियों को संशोधित करने के लिये विधेयक ।"
(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(III) वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012

- वी.आई.टी विश्वविद्यालय, जयपुर
विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-11)
- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
"राजस्थान राज्य में वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"
(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

5. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-2013

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

अनुदान की मांग संख्या – 26 - चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर विचार एवं मतदान होगा ।

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

प्रकाश चन्द्र पिछोलिया
विशेषाधिकारी

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 15 अप्रैल, 2012